(e) the details of Central Government agencies and Non-Governmental Organisations deputed in starvation prone district of Orissa indicating the details of incentives offered to such agencies by Central Government?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (b) Government are aware of some such reports that have appeared in newspapers, but as per information available with Ministry of Agriculture, which is the model Ministry for the subject, Government of Orissa has not reported any starvatione deaths during the last six months.

(c) and (d) According to the reports received from the State Government 15,818 villages of 18 districts in the State suffered crop losses of more than 50% during 1996-97 and are affected by drought conditions in varying degrees. Govt. of India have already released Rs. 36.76 crore during the current year as its Central share of Calamity Relief Fund. In addition an adhoc assistance of Rs. 13.00 crores has also been released from the National Fund for Calamity Relief for drought relief measures.

(e) Government of India have not deputed any Agency/Organisation for relief work in the drought-affected areas, as the State Government is responsible for organising relief and rehabilitation measures in the areas affected by natural disasters.

सफाई कर्मचारियों को छोटे-छोटे निजी व्यवसाय चलाने के लिए ऋण

1019. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सफाई कर्मचारियों को छोटे-छोटे निजी व्यवसाय चलाने के लिये ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसी वित्तीय संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र बनने वाले व्यक्तियों के लिये कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कुल कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि के ऋण प्रदान किये गये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में 24 जनवरी, 1997 को शामिल किया गया है। इस निगम का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। इस निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 200 करोड़ रु. है। वर्तमान वर्ष के लिए 2 करोड़ रु. का बजट प्रावधान है। इस निगम द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) इन निगम के संगम ज्ञापन में यह प्रावधान किया गया है कि कम्पनी प्रारंभिक वर्षों के दौरान अपने कार्य केवल ऐसे सफाई कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने तक सीमित रखेगी जो स्वयं अथवा उसके आश्रित सफाई कर्मचारी हों तथा सफाई कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को व्यापक रूप से शामिल करने के बाद अन्य सभी सफाई कर्मचारियों को अपनी परिधि में लाएगी, बशर्ते यह भी कि, अन्य बातें समान रहने पर, यह कम्पनी महिला सफाई कर्मचारियों के आर्थिक विकास और पुनर्वास को प्राथमिकता प्रदान करेगी।

(घ) चूंकि इस निगम को अभी कार्य शुरू करना है, इसलिए लाभग्राहियों को ऋण प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. सफाई कर्मचारियों के लाभार्थ आर्थिक विकास संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
2. सफाई कर्मचारियों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना।
3. सफाई कर्मचारियों अथवा सफाई कर्मचारियों के समूहों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य आय सृजक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों एवं अग्रिमों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय/अथवा आर्थिक मानदंडों के अध्यधीन सहायता प्रदान करना।
4. सफाई कर्मचारियों को संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से रियायती वित्त मंजूर करना।
5. सफाई कर्मचारी समुदाय के छात्रों को स्नातक तथा उच्च स्तरों पर व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।

6. सफाई कर्मचारी समुदाय के व्यक्तियों के उत्पादन और उनके द्वारा स्थापित सेवा यूनिटों के समुचित और प्रभावी प्रबन्धन के लिए तकनीकी एवं उद्यमीय कौशलों के उन्नयन में सहायता करना।

7. स्वच्छता कार्य सम्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अन्य सर्वसाधारण सुविधा केन्द्रों को बढ़ावा देना।

8. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्राधिकृत राज्य माण्यम एजेंसियों के माध्यम से निधियों को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की तरह एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम उपर्युक्त संगठनों के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त करेगा और लाभग्राहियों को इन संगठनों के माध्यम से संवितरण के लिए ऋणों एवं सीमान्त धनराशि को मंजूर करेगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, इस निगम द्वारा वित्त घोषित, प्रापिकृत राज्य वित्त एवं विकास निगमों/बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का समन्वय और मॉनीटर भी करेगा।

9. स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों/व्यक्ति समूहों अथवा पंजीकृत फैक्टरियों/कम्पनियों/सफाई कर्मचारियों की सहकारिताओं को उनके द्वारा तैयार माल के विपणन में सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की खरीद में सहायता प्रदान करना।

10. सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक विकास और पुनर्वास संबंधी सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता करना।

Progress in Implementing the Wakf Act, 1995

1020. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to refer to answer to Unstarred Question No. 2126 given in the Rajya Sabha on 26th August, 1996 and state:

(a) the details of the progress in implementing the Wakf Act, 1995 in the States which so far could not implement the Act for one reasons or the other;

(b) whether powers of State Government have finally been delegated to Lt. Governor/ Administrator of Delhi and Pondicherry;

(c) whether similar power are being delegated to the U.T. Administrations of Andaman & Nicobar Islands, Dadar & Nagar Havely, Daman & Diu and Lakshadweep;

(d) whether State Governments of Sikkim, Tripura and Bihar have taken any move in this direction; and

(e) the genuine difficulties of Goa and Nagaland in giving effect to the provisions of the Wakf Act, 1995?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Government of Kerala has framed and notified the Rules under Section 109 of the Wakf Act, 1995. While the Government of Karnataka have drafted the Rules which are stated to be under scrutiny of the Law Department of the State Government. The State Government of Karnataka has also informed that as soon as the Rules are finalised further action will be taken to constitute the Wakf Board and the Wakf Tribunal.

Government of Rajasthan have also informed that Rules have been drafted and sent to their Law Department for scrutiny.

The Governments of Assam, Orissa and Tripura and the Govt. of National Capital Territory of Delhi have stated that Rules are being framed.

Governments of Bihar, Manipur and Tamil Nadu have stated that action is being taken to implement the Wakf Act, 1995.

The Government of Maharashtra have stated that the Rules are being framed to implement the Act.

The Governments of Arunachal Pradesh, Mizoram and Sikkim have stated that since there are no Wakf properties in the respective States a Wakf Board is not required.

For the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh there is a composite Punjab Wakf Board which is presently under supersession.